

स्वाम्यालय उपखण्ड अधिकारी बिनाय, जिला केकड़ी  
(सीतासीन अधिकारी पुत्र बगवान तंवर) आर ए एन  
प्रकरण सं / बाभीना पत्र / एम.आर. / 8 / 2023

1. शीतेश शिंह पुत्र कल्याण शिंह जाति राजपुरा निवासी जेतपुरा तहसील बिनाय जिला केकड़ी

प्राथी

बगवान

1. रामू पुत्र बगवान जाति भीम निवासी जेतपुरा तहसील बिनाय जिला केकड़ी
2. रामजाल पुत्र बगवान जाति भीम निवासी जेतपुरा तहसील बिनाय जिला केकड़ी
3. रामप्रसाद पुत्र नाहल जाति भीम निवासी जेतपुरा तहसील बिनाय जिला केकड़ी
4. बैलाश पुत्र बगवान जाति दशरथ निवासी जेतपुरा तहसील बिनाय जिला केकड़ी
5. रामगोपाल पुत्र बगवान जाति ब्रजराज निवासी जेतपुरा तहसील बिनाय जिला केकड़ी
6. सीता देवी पत्नी भागचन्द जाति बैरवा निवासी जेतपुरा तहसील बिनाय जिला केकड़ी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिनाय तहसील बिनाय जिला केकड़ी

अप्राथीगण



निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक-12.07.2024

1. वकील प्राथी- श्री धर्मवीर बामनियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्रीजा जेतपुरा पटवार क्षेत्र जेतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दरी के खाता सं0 543 में दर्ज खसरा नं. 1252 रकबा 2.36 और खसरा नं. 1254 रकबा 0.10 कुल किता 02 कुल रकबा 2.46 हेक्टर जो कि प्राथी के खातेदारी कब्जे कारत की भूमि होने के कारण रथाई पत्थरगढी करना चाहता है। अप्राथीगण सं. 01 लगायत 06 प्राथी की कब्जे कारत भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्राथी सं. 07 सरकार जरिये तहसीलदार बिनाय ने प्राथी को पत्थरगढी हेतु स्वाम्यालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्राथी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्राथीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथीगण संख्या 01 लगायत 16 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्राथी संख्या 01 लगायत 06 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्राथी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्राथी द्वारा प्रार्थना-पत्र में दर्जित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जम्माबन्दी ग्राम खेड़ी के खाता संख्या 543 संवत

9  
उपखण्ड आधिकारी  
बिनाय (केकड़ी)

2073(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा जेतपुरा पटवार क्षेत्र जेतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 543 में दर्ज खसरा नं. 1252 रकबा 2.36 और खसरा नं. 1254 रकबा 0.10 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 2.46 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(मु) प्रसाद तंवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय, केकड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय (केकड़ी)